पीरपैंती थर्मल पावर प्लांट

चर्चा में क्यों?

बिहार में विपक्षी पार्टी ने भागलपुर के **पीरपैंती में** थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने के लिये **अडानी समूह को 1,050 एकड़ भूमि** मात्र **1 रुपये प्रति वर्ष पट्टे पर देने के राज्य सरकार** के निर्णय के विरुद्ध पटना में प्रदर्शन किया।

मुख्य बिंदु

पीरपैंती थर्मल पावर प्लांट परियोजना

- **परिचय:**
  - **अडानी पावर लिमिटेड** भागलपुर ज़िले के **पीरपैंती** क्षेत्र में 2,400 मेगावाट (3 अरब अमेरिकी डॉलर) की **कोयला आधारित परियोजना पीरपैंती थर्मल पावर प्लांट** का विकास कर रही है।
  - इस परियोजना में 800 मेगावाट की तीन इकाइयाँ होंगी। निर्माण के दौरान लगभग 10,000 और संचालन शुरू होने के बाद लगभग 3,000 स्थायी रोज़गार सृजित होने की संभावना है।
- **परियोजना के विरुद्ध आरोप:**
  - **भूमि पट्टा:** 1,050 एकड़ भूमि 33 वर्षों के लिये 1 रुपये प्रति वर्ष की दर से अडानी पावर को पट्टे पर दी गई, जिसे विपक्षी पार्टी ने उपहार बताया।
  - **पर्यावरणीय प्रभाव:** कथित तौर **पर 10 लाख वृक्षों को काटा** गया, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र को हानि पहुँची।
  - **कृषि भूमि रूपांतरण:** परियोजना स्वीकृति के लिये उपजाऊ कृषि भूमि को कथित तौर पर बंजर के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया।
  - **विद्युत शुल्क:** बिहार के निवासियों को लगभग 6 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना पड़ सकता है, जो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की दरों से अधिक है।
- **सरकारी प्रतिक्रिया:**
  - अडानी पावर ने यह परियोजना **पारदर्शी टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्द्धात्मक निविदा (TBCB) प्रक्रिया** के तहत विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अनुसार प्राप्त की।
  - भूमि पहले ही वर्ष 2022 में **बिहार राज्य पावर जनरेशन कंपनी (BSPGCL)** को 1 रुपये प्रति वर्ष की दर से पट्टे पर दी जा चुकी थी।
  - विद्युत् उत्पादन लागत कम करने के लिये निविदा तंत्र में नाममात्र पट्टा दर को शामिल किया गया था, जबकि भूमि का **स्वामित्व बिहार के ऊर्जा विभाग** के पास बना हुआ है।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025:

- अगस्त 2025 में, बिहार कैबिनेट ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 को स्वीकृति दी, जो पात्र निवेशकों को 1 रुपये की प्रतीकात्मक दर पर भूमि आवंटन की अनुमति देता है।
- **नीति के अंतर्गत:**
  - **100 करोड़ रुपये के निवेश और 1,000 रोज़गार के सृजन पर** 10 एकड़ निःशुल्क भूमि प्राप्त की जा सकेगी।
  - **1,000 करोड़ रुपये के निवेश पर** 25 एकड़ तक निःशुल्क भूमि प्राप्त की जा सकती है।
  - **फॉर्च्यून 500 कंपनियों** को 10 एकड़ निःशुल्क भूमि मिलेगी।
  - अन्य निवेशकों को **बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण** (**BIADA**) की भूमि दरों पर 50% की छूट मिलती है।
  - यह योजना **31 मार्च, 2026 तक सभी योग्य निवेशकों के लिये खुली है**, जिससे 1 रुपये में भूमि हस्तांतरण केवल अडानी तक सीमित नहीं है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/pirpainti-thermal-power-plant